फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम मीरा देवी वगै0

154/2021

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील उपस्थित आज पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव की ओर से प्रस्तुत किया गया पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी 2 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी वादी द्वारा वाद में मुख्य अनुतोष वादग्रस्त भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत चाहा है परन्तु वादी ने दो खातों जिसमें खाता नम्बर 231 जिसमें दो खसरे 1948 व 1990 है जिनसे खातेदार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1व 3 है व खाता नम्बर 232 जिसमें एक खसरा 1807 है जिसमें खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। वादी द्वारा विधि के विपरित दोनो खातो को संयुक्त करते हुए वाद प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकारों का कुसंयोजन होने के कारण व वादकारण के कुसंयोजन होने के कारण विधि द्वारा वर्जित वाद होने के कारण चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जो कि दो अलग-अलग खातों से सम्बन्धित है जिसमें खातेदार भी कॉमन नही है। उपरोक्त वाद विधि सम्मत नहीं है। विधि के सिद्धान्त के अनुसार यदि पक्षकार कॉमन नहीं हो तो ऐसी स्थिति में दो अलग-अलग वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करन निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जिसमें दोनो खातो के पक्षकार समान नही है बावजूद इसके वादी द्वारा दोनो खातों का संयुक्त वाद प्रस्तुत किया है के कारण व वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को उसके कानूनी रूप से जायज 1/3 हिस्से से बेदखल करने की नियत से किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रस्तुत वादपत्र मय भारी हर्जे-खर्चे के खारिज किया जावें। वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का जवाब न देकर सीधे बहस कर प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 को खारिज फरमाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र किये गये कथनों और विधि के प्रावधानों का अनुसरन करने पर प्रकट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक खाते पर प्रस्तुत नही कर एक ही वाद में अन्य खातों पर भी वाद प्रस्तुत किया है परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में जमाबन्दी मे समान पक्षकार ना होकर असमान पक्षकार संयोजित किये गये है जिसके कारण वादी द्वारा विधि के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अवहेलना की गयी है। विधि में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि एक से अधिक जोत के बंटवारे के लिए एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है कि बशर्ते कि पक्षकार [illegible] इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्त[illegible]7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 53 [illegible] 1955 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] विधि के प्रावधानों के विपरित होने के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:04:56 IST
Reason: SelfAttested